

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या: FP/CG/TRANS/22046/2016

1.	परियोजना / स्कीम का स्थान	सूरजपुर जिला अन्तर्गत 132 के.व्ही विधुत पारेषण लाईन बिश्रामपुर से परसा 80.40 कि.मी. के निर्माण हेतु 15.766 हे. राजस्व वनभूमि का प्रस्ताव।
i	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii	जिला	सूरजपुर
iii	वन प्रभाग	सूरजपुर वन मण्डल सूरजपुर
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	राजस्व वन भूमि 15.766 हेक्टेयर
v	वन की कानूनी स्थिति	राजस्व वन भूमि
vi	हरियाली का घनत्व	0.0 से 0.1 तक
vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी भि संलग्न किये जाये।	वृक्षों के गणना प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न प्रजातियों के 27 मीटर के चौड़ाई में कुल 654 वृक्ष स्थित है। विधुत लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक चौड़ाई 12 मीटर में विभिन्न प्रजातियों के कुल 384 वृक्ष स्थित हैं, जिनका विदोहन किया जाना आवश्यक होगा। वृक्षों का गणना प्रतिवेदन संलग्न है।
viii	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिपणी	प्रस्तावित परियोजना विधुत लाईन निर्माण अंतर्गत राजस्व वनभूमि में भू-क्षरण नगण्य है।
ix	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित परियोजना 132केव्ही विधुत पारेषण लाइन का मार्ग राजस्व वन भूमि से होकर गुजर रहा है।
x	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिज़र्व, बाघ रिज़र्व, हाँथी कॉरिडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएँ)	नहीं है।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रनिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	नहीं है।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित	नहीं है।

	हो दें।	
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमी की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और नियुन्यतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्योरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो, दे।	कार्यपालन अभियंता अति उच्चदाब निर्माण संभाग कोरबा के द्वारा विश्रामपुर से परसा विधुत पारेषण लाइन निर्माण हेतु राजस्व वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ, कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं।
4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्ड की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित विधुत पारेषण लाइन निर्माण हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए आवश्यक वैकल्पिक वृक्षारोपण वन परिक्षेत्र रामानुजनगर, सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii	रूपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लगत ढांचा आदि।	संलग्न है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकीय द्रिष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	संलग्न है।
5	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7(xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
6	विभाग / जिला प्रोफाइल	सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर
i	वनमंडल का भौगोलिक क्षेत्र	5181.855 वर्ग कि मी
ii	वनमंडल का वन क्षेत्र	1761.931 वर्ग कि मी
क	आरक्षित वन	338.087 वर्ग कि मी

ख	संरक्षित वन	1423.844 वर्ग कि मी
ग	असीमंकित वन	-
	योग :-	1761.931 वर्ग कि मी
iii	1980 के बाद कुल वनक्षेत्र का वनोत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ।	22 मामलों में 2277.421 हे.
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	-
क	दंड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	निरंक
ख	वनोत्तर भूमि	निरंक
v	वर्ष 2015-16 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	3775.869 हे.
क	वनभूमि	3708.702 हे.
ख	वनोत्तर भूमि पर	67.167 हे.
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्तावित 132 केव्ही विश्रामपुर से परसा विधुत पारेषण लाइन 220/132 केव्ही विश्रामपुर उपकेन्द्र से ग्राम-परसा स्थित 132/33 केव्ही उपकेन्द्र तक निर्माण हेतु, सूरजपुर वनमण्डल में 15.766 हे. राजस्व वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रभावित होगी जो की न्यूनतम है। इस प्रस्ताव हेतु 15.766 की वन भूमि व्यपबर्तन की स्वीकृति करने की अनुसंशा सहित प्रेषित है।

दिनांक : 03-03-2017

स्थान : शिवनगर


NAVEED SHUJAUDDIN
 सूरजपुर वनमण्डल अधिकारी
 Divisional Forest Officer
 Surajpur Division, Surajpur (C.G.)